उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-11

संख्या- 638/एक-11-2022

लखनऊ: दिनांक: 29/12/2022

कार्यालय-ज्ञाप

आपदा न्यूनीकरण के प्रयोजनार्थ परियोजनाओं के लिये राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की स्थापना अधिसूचना दिनांक 03.08.2022 के माध्यम से की गयी है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के प्रशासन/उपभोग के सम्बन्ध में गाइडलाइन दिनांक 14.01.2022 निर्गत की गयी है। उक्त गाइडलाइन के प्रस्तर- 13 में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु अप्रेजल कमेटी के गठन के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था की गयी है:-

Administrative mechanism to be followed for processing of proposals under SDMF. : (Para-13 of guideline)

(i) The SDMA will constitute an Appraisal Committee to be headed by a Member of SDMA with members from line Departments of the State Government and State entities for appraisal of the proposals/ projects under SDMF.

(ii) The Departments/ Agencies of the State Government/ DDMA, who wish to take up projects from SDMF, will submit the project proposals to the State Government Department dealing with the Disaster Management, which in turn will refer the project proposal to the Committee headed by the Member, SDMA for appraisal.

(iii) The recommendations of the Appraisal Committee of SDMA shall be placed before the SEC for consideration/ sanction.

2- उक्त गाइडलाइन में निहित प्राविधानों के अनुसार राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु प्रमुख सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में निम्नानुसार अप्रेजल कमेटी का गठन किया जाता है-

1- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग	अध्यक्ष
2- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,उ0प्र0 रा0आ0प्र0प्रा0	सदस्य
4- अपर मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग द्वारा नामित मुख्य अभियन्ता से अनिम्न अधिकारी	सदस्य
5- प्रमुख सचिव, गृह द्वारा नामित अग्निशमन/आपदा राहत से जुडा कमाण्डेट स्तर से अन्यून अधिकारी।	सदस्य
6- अपर मुख्य सचिव, वित्त द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर से अधिकारी	सदस्य

3- राज्य सरकार के विभाग/जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, जिन्हें न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से धनराशि की मांग करनी होगी, वह अपना प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजेगें। राजस्व विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को मूल्यांकन हेतु अप्रेजल कमेटी के समक्ष रखे जायेंगे। अप्रेजल कमेटी की संस्तुति के उपरांत प्रस्ताव विचारार्थ/धनावंटन हेतु राज्य कार्यकारिणी

समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें।

Signed by सुधीर गर्ग
Date: 29-12-2022 17:32:44
Reason: Approved

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 638(1)/एक-11-2022 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. राहत आयुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
8. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
9. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
11. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय
12. राजस्व अनुभाग-10
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रामकेवल)
विशेष सचिव।